कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री विजयपाल शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर, भीलवाडा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसर जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री विजयपाल शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16998/2019 विजयपाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 16998/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 द्वारा याचिकार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि बामणिया/भूणास/शाहपुरा जिला भीलवाडा में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री विजयपाल शर्मा का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूणास, सहाडा जिला भीलवाडा किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्री विजयपाल शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/विजयपाल/16998/2019 **दिनांकः** 21/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अजमेर/जोधपुर संभाग, अजमेर, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाडा/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भीलवाडा/बाडमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भीलवाडा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री विजयपाल शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)